

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी- ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.  
राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 115/2024  
निर्णय दिनांक : 29.01.2025  
GCMS NO : 2024/245

चंद्रा राम मेघवाल पुत्र बेगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गनोड़ा तहसील सुजानगढ़  
जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता मोहनलाल बिस्सु उपस्थित
2. अप्रार्थी परोकार राज उपस्थित।



—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग के खेत खाता संख्या 3 के खसरा संख्या 164 तादादी 0.1896 हैक्टेयर, खसरा संख्या 165 तादादी 0.3540 हैक्टेयर, ख.नं. 422/71 तादादी 6.6386 हैक्टेयर, ख.नं. 70 तादादी 3.8567 हैक्टेयर व ख.नं. 90 तादादी 4.6786 हैक्टेयर कुल कित्ता 5 कुल तादादी 15.7175 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गनोड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है। जिसे प्रार्थना-पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र बेगाराम दर्ज है जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम चंद्रा राम मेघवाल पुत्र बेगाराम है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन

(8-1)  
उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

किया कि वादगत खेत रोही ग्राम गनोडा में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र वेगाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम चन्द्राराम मेघवाल पुत्र वेगाराम है। रामचन्द्र व चन्द्राराम एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम चन्द्राराम मेघवाल पुत्र वेगाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम चन्द्राराम मेघवाल पुत्र वेगाराम ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

### आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के खेत खाता संख्या 3 के खसरा संख्या 164 तादादी 0.1896 हैक्टेयर, खसरा संख्या 165 तादादी 0.3540 हैक्टेयर, ख.नं. 422/71 तादादी 6.6386 हैक्टेयर, ख.नं. 70 तादादी 3.8567 हैक्टेयर व ख.नं. 90 तादादी 4.6786 हैक्टेयर कुल कित्ता 5 कुल तादादी 15.7175 हैक्टेयर वाले रोही ग्राम गनोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में दर्ज रामचन्द्र पुत्र वेगाराम निवासी गनोडा के स्थान पर चन्द्राराम मेघवाल पुत्र वेगाराम जाति मेघवाल निवासी गनोडा खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।



ओमप्रकाश वर्मा  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़ (चूरु)